## Government Of India Ministry Of Railways (Railway Board)

No. 2021/E(Sports)/4(1)/01

New Delhi, dated 03.02.2021

The General Managers (P),
All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, MCF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO (R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO and NAIR.

<u>Sub.</u>: Relaxation in period of reckoning Sports Achievements for recruitment against sports quota under Talent Scouting Category for the year 2020-21.

Ref.: Railway Board's letter No. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (Policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189/2010).

As per existing instructions, the period of reckoning sports achievements for recruitment against sports quota under Talent Scouting Category is current and/or immediate previous one financial year. But, due to covid pandemic and nationwide lockdown most of the national or international championships didn't take place last year.

The condition for reckoning sports achievements for recruitment against sports quota under Talent Scouting Category has been considered by Board and to give a fair opportunity to sportspersons for recruitment under Talent Scouting Category in 2020-21, it has been decided that the sports achievement for this category may be reckoned for the previous two financial years, same as that for the recruitment under Open Advertisement category.

This also disposes SERSA's letter No. SERSA/Recruitment/TS&OA/2020-21, dated 15.01.2021.

(Bhaskar Roy Choudhury)

Brych lang

Dy. Director, Estt.(Sports)

(Railway Board)

New Delhi, dated 03.02.2021

No. 2021/E(Sports)/4(1)/01

#### Copy to:

- 1 The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
- 2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.

- 3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, 7-GF, Rail Bhawan, New Delhi.
- 4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No. 48, Rail Bhawan, New Delhi.

For Secretary/Railway Board

### Copy to:

- 1 The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
- 2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/Production Units.
- 3. PPSs/PSs to CRB, MS, AM(S), Adv.(IR), ED/E(N), ED(E), ED/E(Res.), ED/F(E), D/E(N), JD/E(N), JD/E(Rep.)-I&II, JD/E(W), DD/E(N)I&II, DD/E(R)-I&II, DD/F(E)-I,II & III and E(Rep.)-I, II & III, E(SCT) I & II, E(NG) I & II and F/E(Spl) Branches.

# भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/01

नई दिल्ली, दिनांक: 03.02.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलें एवं चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ और एन.ए.आई.आर/वड़ोदरा

विषय: वर्ष 2020-21 के लिए टेलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अविध में छूट। संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं.2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी) (आरबीई सं.189/2010)।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, टेलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की अविध मौजूदा वर्ष और/या ठीक पिछले एक वित्तीय वर्ष है। परन्तु, कोविड वैश्विक महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष अधिकांश राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय चैपिंयनशिप आयोजित नहीं की जा सकीं।

बोर्ड द्वारा टेलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत खेलकूद कोटा के तहत भर्ती के लिए खेलकूद उपलब्धियों की गणना करने की शर्त पर विचार किया गया है और वर्ष 2020-21 में टेलेंट स्काउटिंग कोटि के अंतर्गत भर्ती के लिए खिलाड़ियों को उचित अवसर देने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि इस कोटि के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों की खेलकूद उपलब्धियों की गणना की जाए जैसा कि खुले विज्ञापन कोटि के तहत भर्ती के लिए किया गया है।

इससे एसईआरएसए के दिनांक 15.01.2021 के पत्र सं.एसईआरएसए/रिक्रूटमेंट/टीएंडओए/20-21 का भी निपटान हो जाता है।

(भास्कर रॉय चौधरी)

उप निदेशक, स्थापना (स्पोर्ट्स) रेलवे बोर्ड

--- 2/-

## सं.2021/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/01

नई दिल्ली, दिनांक 03.02.2021

## प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 3. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी असोशिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 4. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी असोशिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड